



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124750

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 12580 वर्ष 2026

आर्यन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : ओंकार सिंह, सचिन मलिक

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह तथा राज्य-विपक्षी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 18 वर्ष 2026, धारा 318(4), 336, 338, 61(2) भारतीय न्याय संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी, 66 डी, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर में पंजीकृत मामले में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 19.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त सचिन को इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 15294 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है और आवेदक की भूमिका उपरोक्त सह-अभियुक्त की भूमिका से अलग नहीं है। यह तर्क दिया गया कि आवेदक के कब्जे से कथित रूप से केवल एक मोबाइल फोन और 600 रुपये बरामद होना बताया गया है और आवेदक के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत शिकायत दर्ज नहीं की गई है। यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता के साथ 54,000 रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मुकदमों की भारी लंबित संख्या के कारण, विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक का मोबाइल फोन कथित साइबर धोखाधड़ी में शामिल दो बैंक खातों से जुड़ा हुआ पाया गया है।
5. सह-अभियुक्त सचिन को इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 15294 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है और आवेदक की भूमिका उपरोक्त सह-अभियुक्त की भूमिका से अलग नहीं है। आवेदक को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और 600 रुपये बरामद होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता के साथ 54,000 रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और पत्रावली से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत और मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूं। अतः, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- आर्यन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, तथा वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा।
- (iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर व्यक्त राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

2 जून, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।